न्यायालय समाहर्त्ता / जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 03 / 2018

प्रथम पक्षः– (1) लक्ष्मी कुमारी, पति– संतोष कुमार शर्मा उर्फ मनोज शर्मा,
साकिन– भेलवा, पोस्ट– आरण, थाना व जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) बिहार सरकार।

11.11.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदक प्रथम पक्ष के ओर से दाखिल अपील आवेदन के आलोक में दिनांक 30.11.2018 को किया गया। वाद सुनवाई हेतु दिनांक 01.02.2019 को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई।

अपीलार्थी का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल यह अपील आवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 26.10.2018 को पारित और ज्ञापांक 1181–2 / आई०सी०डी०एस०, दिनांक 01.11.2018 से निर्गत आदेश के विरूद्ध है। मामले की वास्तविकता के संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि दो ग्लास, जिससे महुआ शराब की गंध आ रही थी, के साथ दो लीटर महुआ शराब आवेदिका और उसके पुत्र के पास से पाया गया। दोनों माँ–बेटा व पाये गये ग्लास, जिसमें से महुआ शराब के गंध आने की बात कही गयी, का कोई चिकित्सकीय जांच नहीं कराया गया। इस संबंध में सिर्फ दो ग्रामीणों को साक्षी बनाकर दोनों माँ–बेटा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आवेदिका पर लगे उक्त आरोप और स्थिति के आलोक में अनुशासनात्मक कारवाई के तहत आवेदिका को चयनमुक्त करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिए गए उक्त निदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आवेदिका को दिनांक 08.05.2017 के आदेश से चयनमुक्त कर दिया गया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांक– 08.05.2017 से आहत होकर इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14459 / 2017, के अन्तर्गत मामला दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14459 / 2017, के अन्तर्गत दिनांक 18.07.2018 को अपना आदेश पारित किया गया। दिनांक 18.07.2018 के आदेश से माननीय उच्च न्यायालय, पटना, द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश को निरस्त करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया गया कि किसी बाहरी प्रभाव या निदेश में आये बिना मामले के गुण–दोष की विधिवत् समीक्षा कर नये सिरे से आदेश पारित किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश के आलोक में ये पुनः जिला

प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखे। परंतु, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पूर्व की ही भांति इनके ओर से प्रस्तुत पक्ष और साक्ष्यों पर समुचित विचार किए बिना जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में ही दिनांक 26.10.2018 को अपना आदेश पारित कर दिया गया, जो उचित नहीं है।

अपीलार्थी का अंत में मुख्यतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कहना है कि चूंकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मामले के गुण–दोष की पूर्ण समीक्षा किए बिना पूर्वधारणा के आाधार पर अपना आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी के ओर से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी बिहार सरकार के ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन एवं दोनों पक्ष को सुनने से अपीलार्थी का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखे जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विचारण के पश्चात् ही अपना अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 को अपास्त किया जाता है। साथ ही निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देते हुए उनसे प्राप्त साक्ष्य पर समुचित विचारण के पश्चात् आदेश पारित करें।

उपस्थापक निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित को भेंजे और आदेश की एक प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सहरसा को भेंजे। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित व शुद्विकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 30 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 14.01.20

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख CWJC No- 14459/2017, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14/01/20